



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2025/609399

दिनांक : 04.04.2025

अति आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

- 1-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
- 2-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध-राजकीय/संघटक/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय- स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14.04.2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14.04.2025 से 28.04.2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 769/सत्तर-3-2025-1913811, दिनांक 28 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-127/90-सं-2-2025, दिनांक 19.03.2025 एवं पत्र संख्या-136/90-सं-2-2025, दिनांक 25.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः कृपया उक्त के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या ई-मेल आईडी0 : draffiliationmjpru@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि समयान्तर्गत शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर/क्रीडा सचिव/समस्त निदेशक/समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप कुलसचिव (प्रशासन/सम्बद्धता)
10. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
11. निजी सचिव-कुलपति।
12. प्रभारी, वेबसाईट।
13. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव।


कुलसचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-769/सत्तर-3-2025-1913811

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : 28 मार्च, 2025

विषय: स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14-04-2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

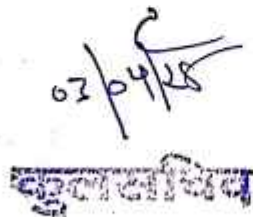
उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-127/90-सं-2-2025, दिनांक 19.03.2025 एवं पत्र संख्या-136/90-सं-2-2025, दिनांक 25.03.2025, जो समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

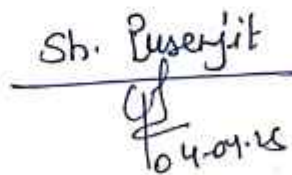
संलग्नक यथोक्त :।

भवदीय,



Signed by
एस0पी0 मिश्र
Surya Prakash Mishra
उप सचिव।
Date: 28-03-2025 14:52:22

03/04/25

कुलसचिव

Sh. Pusejit

04-04-25

संख्या-749/-सत्तर-3-20

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"

अति महत्वपूर्ण

संख्या-127/90-सं-2-2025

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-11
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संख्या 206/1111111111/2025

21.03.25

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 19 मार्च, 2025

विषय:- स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14-04-2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या-21035/3/2020-Spl.Cell दिनांक 20-11-2024 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-03 भा०सं०/90/सं०-2-2024 दिनांक 22-11-2024 एवं उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21-11-2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष-पर्यन्त उत्सव के रूप में मनाये जाने वाले कार्यक्रमों के समन्वय हेतु संसदीय कार्य विभाग नोडल विभाग नामित है। तत्क्रम में आगामी 14-04-2025 (बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जयंती) से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्य योजना पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

- सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी अम्बेडकर जयंती समारोह में संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय।
- सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक की विशिष्ट तिथियों पर प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में पूर्व निर्धारित परम्परागत कार्यक्रमों यथा- प्रार्थना सभा आदि के पश्चात "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" के टैग लाईन वाले पोस्टर, बैनर एवं झंडे के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन कराते हुए प्रभात फेरी समाप्ति स्थल (एस0सी0/ एस0टी0 वाहुल्य क्षेत्र में अमृत सरोवर स्थलों पर बाबा साहेब बी0आर0 आम्बेडकर की मूर्ति अथवा मूर्ति की अनुपलब्धता में उनका बड़ा चित्र लगाकर उसपर माल्यापर्ण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) पर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। इस हेतु प्रत्येक गैर सरकारी अथवा सरकारी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।
- सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय। संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।

30/03/25
21/03/25

N. 77/1111111111/2025
DS
26/03/25

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

27.03.2025

- (iv) प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) में प्रार्थना सभा के उपरान्त संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार / कर्तव्य/राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में द्विज का आयोजन किया जाय। स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुद्दे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनीतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद / सेमिनार एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।
- (v) यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी आयोजन खण्ड विकास अधिकारियों/ खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में किये जायेंगे तथा जिला स्तर पर इसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों / ग्राम सभाओं में आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रमों में सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं उनके द्वारा प्रशंगत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जायेंगी।
- 2- अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित को स्वस्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करते हुए तत्सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अपनी कार्य योजना अधिकतम तीन कार्य दिवसों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे०पी० सिंह-II)

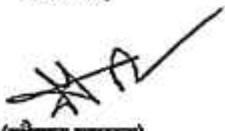
प्रमुख सचिव।

संख्या- 127 (1)/90-सं-2-2025 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव बेसिक/ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 14- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,


(गौरव कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या 769-B / सत्तर-3-20

संख्या 675 / NIPPSHED / 2025
दिनांक 26-3-2025

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"

अति महत्वपूर्ण

संख्या-136/90-सं०-2-2025

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-II
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2025

स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती दिनांक 14-04-2025 से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक-127/90-सं०-2-2025 दिनांक 19-03-2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के अर्द्धशा०पत्र दिनांक 20-11-2024 तत्कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 22-11-2024 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आपसे आगामी 14-04-2025 (बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती) से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने हेतु पत्र में उल्लिखित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना अधिकतम तीन कार्यदिवसों में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के पत्र दिनांक 19-3-2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित को स्वस्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करते हुए तत्सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अपनी कार्य योजना आज ही संसदीय कार्य विभाग को पत्र एवं ईमेल आई०डी०-sansadeeya1@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

No- 77 / 14 (16) / 14 / 25

DS

26/03/25
(शिपू गिर)

विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग।

27.03.2025

भवदीय,

(जे०पी० सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

संख्या-136 (1)/90-सं-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव बेसिक/ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(गौरव कुमार)

विशेष सचिव।